प्रेस नोटः–

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक–16.05.2019

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग–

जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न–भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडीयों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर **18 वाहनों से मु0– 2800 रू0 शमन शुल्क वसूल किया गया। शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।**

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से **कुल– 06 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।**

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 15.05.2019 को जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र की पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए कुल– 02 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 33 लीटर कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण की बरामदगी की गयी। कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है–

थाना छपिया द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. सुभाष राजभर पुत्र राम बरन राजभर नि0 वीरपुर भरपुरवा थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–129/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

थाना कटराबाजार द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. उदल कुमार पुत्र श्याम सुन्दर नि0 नई बस्ती शेरा पार थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा के कब्जे से 13 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–144/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

विवेचनाओं का निस्तारण–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण–दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल–01 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

सराहनीय प्रेस नोट मीडिया सेल जनपद गोण्डा दिनांक 16.05.2019

तरबगंज हत्याकांड में 50,000–50,000 के इनामी अभियुक्त शिवमूरत सिंह–इंसान अली गिरफ्तार, आलाकत्ल छुरा, घटना में प्रयुक्त लोहे का पाइप व मोटरसाइकिल भी बरामद–

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. शिवमूरत सिंह पुत्र अवधराज सिंह निवासी बनगांव थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।
02. इंसान अली पुत्र नूरमोहम्मद निवासी सेउढ़ा मौजा बनगांव थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 अदद आलाकत्ल छूरा।
02. 01 अदद लोहे की पाइप।
03. घटना में प्रयुक्त 01 अदद चोरी की मोटरसाइकिल।
04. 01 अदद फर्जी आधार कार्ड।
05. 01 अदद फर्जी वोटर आईडी कार्ड।
06. 02 अदद फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस।
07. 01 अदद पेन कार्ड।
08. 02 अदद मोबाइल।
09. 01 अदद मृतक का आधार कार्ड।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–111/19, धारा– 302.201.120बी भादवि थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0–118/19, धारा– 411.419.420.467.468.471 भादवि थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

अभियुक्त शिवमूरत सिंह का अपराधिक इतिहास–

01. मु0अ0सं0– 81/96 धारा– 380.411 भादवि थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0– 141/03 धारा– 8/22 एनडीपीएस एक्ट भादवि थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0सं0– 209/12 धारा– 147.149.307 भादवि व 5 विस्फोटक अधि0, 7 सीएल एक्ट भादवि थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।
04. मु0अ0सं0– 134/13 धारा– 3(1) गुण्डा एक्ट भादवि थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।
05. मु0अ0सं0– 58/05 धारा– 307 आईपीसी थाना महाराजगंज जनपद फैजाबाद
06. मु0अ0सं0– 218/12 धारा– 394.216ए भादवि को0 चिन्हट जनपद लखनऊ।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 07.05.2019 की रात्रि लगभग 10:00 बजे जनपद गोण्डा के थाना तरबगंज क्षेत्र में एक युवक की गला काट कर हत्या करने की सनसनीखेज घटना घटित हुई थी। जिसमें मृतक विश्वनाथ सिंह पुत्र जयबहादुर सिंह निवासी बनगॉव थाना तरबगंज की सिर कटी लाश कुएं से बरामद हुई थी। मृतक के भाई बृजनाथ सिंह की तहरीर के आधार पर भारत सिंह व 04 अन्य के विरूद्ध थाना तरबगंज में हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया था। यह घटना पुलिस के लिए एक चुनौती थी। इस जघन्य हत्याकाण्ड की सूचना प्राप्त होते ही पुलिस अधीक्षक गोण्डा ने भारी पुलिस बल के साथ तत्काल मौके पर पहुँचकर घटना स्थल का निरीक्षण किया तथा स्वयं के ही निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में मृतक के कटे हुए सिर की बरामदगी व अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिये स्वाट/सर्विलांस के अतिरिक्त जनपद के विभिन्न थानाध्यक्षों की 04 टीमें बनाकर लगाया गया। जिसमें फोरेंसिक टीम की भी मदद ली गयी। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्तों की अतिशीध्र गिरफ्तारी के लिये पुलिस अधीक्षक गोण्डा ने अभियुक्तों पर तत्काल 25,000–25,000/– का ईनाम घोषित किया था। जिसे पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र गोण्डा द्वारा बढाकर 50,000–50,000/– किया गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में किये गये इन्ही प्रयासों के फलस्वरूप पुलिस ने दिनांक 13.05.19 को मृतक के कटे हुए सिर को खोज निकाला तथा आज दिनांक 16.05.19 को मुखबिर की सूचना पर थाना तरबगंज पुलिस व स्वाट टीम ने घटना के मुख्य आरोपी शिवमूरत सिंह व अभियुक्त इंसान अली को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। अभियुक्तों की निशानदेही पर हत्या से सम्बंधित आलाकत्ल छुरा, घटना में प्रयुक्त लोहे का पाइप व मोटरसाइकिल बरामद की। अभियुक्तों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करतें हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. प्रभारी निरीक्षक तरबगंज संजय कुमार दुबे।
02. नि0 मनोज कुमार सिंह प्रभारी स्वाट टीम।
03. उ0नि0 राजकुमार सिंह प्रभारी सर्विलांस।
04. हेड का0 सुरेशचन्द्र मिश्रा थाना तरबगंज।
05. हेड का0 श्रीनाथ शुक्ला स्वाट टीम।
06. का0 मुलायम सिंह स्वाट टीम।
07. का0 राजेन्द्र यादव स्वाट टीम, 08. का0 सतवंत शर्मा स्वाट टीम।
09. का0 राजू सिंह सर्विलांस सेल, 10. का0 हृदय नारायण दीक्षित सर्विलांस सेल, 11. का0 अमितेष सिंह सर्विलांस सेल।
12. का0 मनीष कुमार दुबे, का0 बृजेश चतुर्वेदी, का0 सुरेन्द्र पाल थाना तरबगंज।

प्रेस नोटः–
कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक–17.05.2019

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग–

जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न–भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडीयों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर **03 वाहनों से मु0– 700 रू0 शमन शुल्क वसूल किया गया। शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।**

पैदल गश्त अभियानः– पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने–अपने थाना क्षेत्रों में अलग–अलग टीम बनाकर पैदल गस्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़–भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़–भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरूद्व विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्यवाही करते **290 भादवि में 20 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी।**

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से **कुल– 20 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।**

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 16.05.2019 को जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र की पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए कुल– 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 20 लीटर कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण की बरामदगी की गयी। कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है–

थाना उमरीबेगमगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. शोभाराम पासवान पुत्र तिलई पासवान नि0 पूरे डाल थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–101/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

आर्म्स एक्ट में की गयी कार्यवाही–

जनपद के अन्तर्गत थाना उमरीबेगमगंज से अभियुक्त कृपाल पुत्र रामराज नि0 उमरी डड़हन पुरवा थाना उमरीबेगमगंज के कब्जे से 01 अदद चाकू बरामद कर मु0अ0सं0–100/19, धारा–4/25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए चालान न्यायालय किया गया।

विवेचनाओं का निस्तारण–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण–दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल–10 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

धार्मिक भावनाओ को आहट पहुॅचाने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। शुक्रवार जनपद गोण्डा के थाना मनकापुर पुलिस द्वारा धार्मिक भावनाओं को आहट पहुॅचाने का आरोपी अभियुक्त उस्मान कुरैशी पुत्र कल्लू नि0 मो0 जवाहर नगर थाना मनकापुर जनपद गोण्डा को थाना मनकापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0–184/19, धारा 153ए, 295ए भादवि के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त मनकापुर बस स्टैण्ड पुराना हनुमान मंदिर के पास अवैध रूप से मीट–मुर्गे की दुकान लगा कर धार्मिक भावनाओं को आहट पहॅुचा रहा था। जिसके सम्बन्ध में वादी बब्लू पुत्र गिरीश पाल सिंह नि0 भिटौरा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा ने थाना मनकापुर में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराया था। मनकापुर पुलिस द्वारा उक्त आरोपी अभियुक्त को मनकापुर बस स्टैण्ड के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया।

मारपीट करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। शुक्रवार जनपद गोण्डा के थाना को0 नगर पुलिस द्वारा मारपीट करने के आरोपी अभियुक्त–अनिल कुमार पुत्र दीनानाथ निवासी मधनगरा मौजा मोकलपुर थाना को0 नगर जनपद गोण्डा को थाना को0 नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0–67/19, धारा 323.324.326.504 भादवि के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त ने दिनांक 29.01.2019 को वादी चन्द्र भान शुक्ल पुत्र स्वः शीतला प्रसाद निवासी मधनगरा मौजा मोकलपुर थाना को0 नगर जनपद गोण्डा के बेटे को मारपीट कर घायल कर दिया था। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना को0 नगर में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें को0 नगर पुलिस द्वारा वांछित चल रहे आरोपी अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर चौपाल सागर के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।